2.05.13

# प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

## बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 101/12 – 13

## विनय पंडित वनाम् श्याम नारायण पंडित एवं अन्य

## आदेश

आवेदक विनय पंडित पिता श्री कुनेश्वर पंडित ग्राम मानिकपुर थाना कुर्था जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम मानिकपुर थाना कुर्था जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|
| 141 | 754 | 6.337 डी० | उ० श्याम नारायण पंडित<br>द० निज विनय पंडित<br>पू० पइन व रास्ता<br>प० भूषण सिंह वगैरह |

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनने के उपरान्त विवादित भूमि का नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त से करायी गई जिन्होनें दिनांक 19.02.13 को अपना प्रतिवेदन न्यायालय को सौपा जिसे दिनांक 21.03.13 को संपुष्ट किया गया। नापी प्रतिवेदन में सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक की ईट की दीवार से $7\frac{1}{2}$कडी चौड़ा एवं $62\frac{1}{2}$कड़ी लम्बा = 468.75 वर्ग कड़ी विपक्षीगण नॉद,खूँटा एवं प्लास्टिक से छाया हुआ झोपड़ी बनाकर भूमि में अवैध कब्जा किये हुए है।

उपरोक्त नापी प्रतिवेदन के आलोक में प्राधिकार अंचल अधिकारी कुर्था को आदेश देती है कि वे आवेदक के उपरोक्त वर्णित जमीन( आवेदक के दीवार के पूरब $7\frac{1}{2}$कड़ी चौड़ा एवं $62\frac{1}{2}$कड़ी लंबा = 468.75वर्ग कड़ी ) को एक माह के बाद विपक्षीगण द्वारा किये गये अवैध दखल कब्जा से मुक्त कराकर आवेदक को दखल कब्जा सौपे।

लेखापित एवं संशोधित

2.05

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

2.05

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।